रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 25, 2012/ज्येष्ठ 4, 1934
No. 137] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 25, 2012/JYAISTHA 4, 1934

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

अधिसूचना

कोलकाता, 25 मई, 2012

फा. सं. सीडब्ल्यूआर(1)2012.—चूंकि लागत एवं कार्य लेखाकार विनियम,1959 को आगे और संशोधन करने के लिए जिन्हें दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया की 27 जनवरी, 2012 की अधिसूचना सं. सी डब्ल्यू आर (1) 2012 के तहत लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 39 की उपधारा (3) में की गई अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, भाग–III, खंड 4 में विनियमों के मसौदे को प्रकाशित किया गया था, ताकि इससे संभावित रूप से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों उक्त मसौदे पर भारत के राजपत्र की उक्त प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि बीत जाने से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और चूंकि उक्त राजपत्र की प्रतियां दिनांक 31 जनवरी 2012 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और चूंकि संस्थान को कोई आपत्तियां तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

इसलिए, अब लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद एतद्द्वारा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से लागत एवं कार्य लेखाकार विनियम 1959 को आगे और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :–

1. (1) इन विनियमों को लागत एवं कार्यलेखाकार (संशोधन) विनियम, 2012 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. लागत और कार्य लेखाकार विनियम 1959 (जिसे एतद्पश्चात उक्त विनियम कहा जाएगा) में "केन्द्रीय परिषद" शब्द जहां भी आएं उनके स्थान पर "परिषद" शब्द रखा जाए।

3. उक्त विनियम में, विनियम 11 में, –

(क) उप विनियम (1) में, –

(i) खंड (घ) में अंक, अक्षर और शब्द "सितंबर का 30वां दिन" के स्थान पर "जून का 30वां दिन" संख्या, शब्दों को रखा जाएगा ;

(ii) खंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"बशर्ते कि परिषद सदस्य को युक्तिसंगत सूचना देगी और उसके प्रमाण–पत्र को रद्द करने से पहले सदस्य को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगी";

(ख) उप विनियम (2) में, खंड (ख) में अंकों, अक्षरों और शब्दों "अक्टूबर का प्रथम दिन" के स्थान पर "जुलाई का प्रथम दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों को रखा जाएगा ।

4. उक्त विनियम में, विनियम 20क में, मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद को रखा जाएगा, अर्थात :–
"(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष उत्तीर्ण हो"

5. उक्त विनियमों में, विनियम 20ख में, खंड (क) में, मद (ii) को समाप्त किया जाएगा ।

6. उक्त विनियमों में, विनियम 25 क में, –

(क) शब्द और अक्षर "प्रारूप I" के स्थान पर "उचित प्रारूप" शब्दों को रखा जाएगा;

(ख) "अपने पूर्व पंजीकरण के अंतर्गत" शब्दों के पश्चात "विनियम 41 के उपबंधों के अधीन" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा ।

7. उक्त विनियमों में, विनियम 28 ख में, उप विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात :–

'(3) मौजूदा स्नातक सी डब्ल्यू ए व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर से पहले वार्षिक अंशदान का भुगतान नहीं किए जाने पर वह व्यक्ति वर्णनात्मक शब्द "स्नातक सी डब्ल्यू ए" का प्रयोग करने का हकदार नहीं रहेगा

बशर्ते कि इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से संस्थान के स्नातक के रूप में कोई और प्रवेश न हुआ हो । '

8. उक्त विनियमों में, विनियम 30 में शीर्षक "2.परीक्षा में उपस्थित होने की शर्तों" के अंतर्गत खंड (क) को हटाया जाएगा ।

9. उक्त विनियमों में, विनियम 31 में, "इंटरमीडिएट और अंतिम परीक्षाओं" शब्दों के स्थान पर "फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, अंतिम परीक्षा, लेखांकन तकनीक पाठ्यक्रम में प्रमाण–पत्र, प्रबंधन लेखांकन या किसी अन्य प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित हो" शब्दों को रखा जाएगा ।

10. उक्त विनियमों में, विनियम 32 में, –

(क) उप विनियम (1) में "को या उसके पश्चात" शब्दों के स्थान पर "को या किसी के पश्चात" शब्दों को रखा जाएगा ;

(घ) उप विनियम (4) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात –

"बशर्ते कि यह विनियम विनियम 41 के उपबंधों के अधीन हो" ।

11. उक्त विनियमों में, विनियम 33 में उप विनियम (2) में खंड (क) को हटाया जाएगा ।

12. उक्त विनियम में, विनियम 35, में –

(क) उप विनियम (3) में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "परिषद" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उप विनियम (4) में, परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात :–

"बशर्ते यह भी कि यह विनियम विनियम 41 के उपबंधों के अधीन हो"।

13. उक्त विनियमों में, विनियम 41, में –

(क) उप विनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"(1क) कोई उम्मीदवार, जो इंटरमीडिएट या अंतिम परीक्षा के दोनों स्तरों या समूहों में उपस्थित होता है, को इंटरमीडिएट या अंतिम परीक्षा, जैसा भी मामला हो, में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह एक बार बैठने पर प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल अंकों का न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करता है जिसमें से उसे खंड (1)के कॉलम– II में यथा विनिर्दिष्ट छूट प्राप्त नहीं है और उन प्रश्न पत्रों सहित ऐसे सभी प्रश्न पत्रों के कुल अंकों का समग्र रूप से 50 प्रतिशत प्राप्त करता है• जिनमें उसे दोनों स्तरों या समूहों को (पुराने पाठ्यक्रम के अंतर्गत) एक साथ देने पर छूट प्राप्त हुई हो";

(ख) उप विनियम (2) में,–

(ख) उप विनियम (3) में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "परिषद" शब्द रखा जाएगा ;

(ग) उप विनियम (4) में "उपर्युक्त में से किसी" शब्दों के स्थान पर "इनमें से किसी" शब्दों को रखा जाएगा ;

(i) "परीक्षा परंतु" शब्दों के पश्चात "जो उस स्तर या समूह के सभी प्रश्न पत्रों में उपस्थित हुआ हो" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा ।

(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थातः–

"बशर्ते कि वह उपर्युक्त खंड (i) और (ii) में उल्लिखित छूट या आगे ले जाने के लाभ का हकदार नहीं होगा यदि वह उन प्रश्न पत्रों में उपस्थित हुआ हो जिनमें उसे किसी बाद की परीक्षा में छूट या आगे ले जाने का लाभ मिला हो या वह स्वैच्छिक रूप से ऐसे लाभ को नहीं लेता है ;

बशर्ते यह भी कि वह अभ्यर्थी उस परीक्षा को या उससे छूट या आगे ले जाने के लाभ का हकदार नहीं होगा जिसमें वह उन्हीं प्रश्नपत्रों या जैसा भी मामला हो, में उस परीक्षा में उपस्थित हुआ हो जिसमें वह छूट या आगे ले जाने के विकल्प को वापस लेने के पश्चात उपस्थित हुआ हो;

बशर्ते यह भी कि किसी विद्यार्थी के लिए छूट या आगे ले जाने का कोई लाभ उस छूट या आगे ले जाने के लाभ को प्राप्त करने की अवधि के तुरंत बाद 3 लगातार साल के लिए उपलब्ध रहेगा ।"

14. उक्त विनियमों में, विनियम 44 में उप विनियम (2) में "भंडार, सामग्री, श्रमिक, ओवर हैड आदि" शब्दों के पश्चात "या परिषद द्वारा यथा निर्णित कोई अन्य क्षेत्र " शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा ।

15. उक्त विनियमों में, विनियम 48 में, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

"48 **प्रबंधन लेखांकन परीक्षा के भाग–1 के लिए प्रश्न पत्र और पाठ्यक्रमः** प्रबंधन लेखांकन परीक्षा के भाग 1 के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा परिषद द्वारा यथा निर्णीत और अनुमोदित समूहों और विषयों में ली जाएगी । "

16. उक्त विनियमों में, विनियम 96 में,–

(क) "निर्वाचित लेखा परीक्षकों" शब्दों के स्थान पर "नियुक्त लेखा परीक्षकों" शब्दों को रखा जाएगा ;

(ख) "निर्वाचन के लिए पात्र" शब्दों के स्थान पर "पुनः नियुक्ति के लिए पात्र" शब्दों को रखा जाएगा ;

17. उक्त विनियमों में, विनियम 97 में, "पुनः निर्वाचन" शब्दों के स्थान पर "पुनः नियुक्ति" शब्दों को रखा जाएगा ।

18. उक्त विनियमों में, विनियम 102 में, उप विनियम (1) में, "कार्य प्रमाण पत्र" शब्दों के स्थान पर "प्रमाण–पत्र" शब्द रखा जाएगा ।

19. उक्त विनियमों में, विनियम 116 में, उप विनियम (2) में, –

(क) मद (xiii) के पश्चात निम्नलिखित परंतुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"बशर्ते कि ऐसे कार्यकलापों को करने के लिए परिषद द्वारा पूर्व मंजूरी को छोड़कर क्षेत्रीय परिषदों द्वारा कोई अनुसंधान या संबद्ध कार्यकलाप नहीं किया जाएगा :

बशर्ते यह भी कि ऐसे कार्यकलापों की मंजूरी देते समय परिषद वह कुल राशि तय करेगी जिसे किसी अनुसंधान या अन्य संबद्ध परियोजना के लिए व्यय किया जाएगा और समय सीमा तय करेगी"।

(ख) मद (xvii) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"बशर्ते कि कोई क्षेत्रीय परिषद किसी विदेशी कार्यक्रम सहित संबंधित क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी । "

20. उक्त विनियमों में, विनियम 117 को हटाया जाएगा।

21. उक्त विनियमों में, विनियमों 118 में निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"118 चुनाव का आयोजन–

(1) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी क्षेत्रीय परिषदों के लिए चुनाव परिषद द्वारा आयोजित किए जाएंगे और क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव पर लागत और कार्य लेखाकार (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम 2006 आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे।

(2) इस अध्याय में कोई उपबंध या लागत और कार्य लेखाकार (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम 2006 के उपबंधों से असंगत कोई उपबंध उस असंगतता की सीमा तक निष्प्रभावी होगा ।

(3) क्षेत्रीय परिषदों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ परिषद के अध्यक्ष हेतु लागत और कार्य लेखाकार (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम 2006 के किसी संदर्भ को क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के संदर्भ के रूप में माना जाए । "

22 उक्त विनियमों में, विनियम 123 में निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"123 किसी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष की शक्तियां और दायित्व– (क) किसी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष इस अधिनियम या इन विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और दायित्वों का निष्पादन करेगा या समय–समय पर क्षेत्रीय परिषद द्वारा उसे प्रत्यायोजित कार्य करेगा ।

(ख) अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिषद या किसी समिति के समक्ष लाए जाने वाले किसी कार्य पर विचार करने का निर्देश दे सकता है ।

(ग) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है या यदि अध्यक्ष अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करने या दायित्वों का निष्पादन करने में असमर्थ है तो उपाध्यक्ष उसके स्थान पर कार्य करेगा और अध्यक्ष को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और दायित्वों का निष्पादन करेगा । "

23 उक्त विनियमों में, विनियम 127 में उप विनियम (2) में, चौथे परंतुक में "या स्नातक सी डब्ल्यू ए" शब्दों को हटाया जाएगा ।

24 उक्त विनियम में, विनियम 132 में निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"132 निधि से खर्च–

(1) किसी क्षेत्रीय परिषद की निधियां उक्त क्षेत्रीय परिषद द्वारा लिखित में पूर्व मंजूरी के बिना किसी प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं की जाएंगी और उन्हें केवल ऐसे प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जाएगा जिनकी क्षेत्रीय परिषद द्वारा स्पष्ट रूप से मंजूरी दी गई हो ।

(2) किसी क्षेत्रीय परिषद की निधियों के किसी भी हिस्से को तब तक खर्च नहीं किया जाएगा जब तक बिल, बीजक और यदि बिल/बीजक उपलब्ध नहीं है तो सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित वाउचर क्षेत्रीय परिषद के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न किए जाएं और ऐसा प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि खर्च वास्तविक और प्राधिकृत है ।

बशर्ते कि इसकी किसी भी निधि का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित क्षेत्र में क्षेत्रीय परिषद के कार्य के संबंध में उनके द्वारा किए गए किसी खर्च के लिए प्रतिपूर्ति को छोड़कर क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों या क्षेत्रीय परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं से बाहर यात्रा या किसी अन्य खर्च सहित खर्च करने के लिए परिषद से लिखित में पूर्व अनुमोदन प्राप्त न किया जाए ।

बशर्ते यह भी कि क्षेत्रीय परिषदों की किसी भी निधि का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विदेश यात्रा या विदेशों में आयोजित किसी कार्यक्रम के संबंध में भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा ।"

25 उक्त विनियमों में, विनियम 136 में, उप विनियम (1) में अंक, अक्षर और शब्द "31 जुलाई", के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "30 जून" रखे जाएंगे ।

26 उक्त विनियमों में विनियम 137 में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"137. असाधारण सामान्य बैठकें–(1) एक क्षेत्रीय परिषद:–

(क) जितनी बार वह आवश्यक समझे उतनी बार; और

(ख) क्षेत्रीय रजिस्टर के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 20 प्रतिशत द्वारा लिखित में अनुरोध किए जाने पर

कोई असाधारण सामान्य बैठक आयोजित करेगी ।

(2) किसी असाधारण सामान्य बैठक को आयोजित करने के लिए लिखित में किसी अनुरोध में उन उद्देश्यों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिनके लिए बैठक बुलाई गई है और उस पर संबंधित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उसे क्षेत्रीय परिषद के कार्यालय भेजा जाएगा ।

(3) जब कोई अनुरोध उप विनियम (1) के अंतर्गत किया जाता है तो क्षेत्रीय परिषद ऐसे अनुरोध के प्राप्त होने के 6 सप्ताह के भीतर असाधारण सामान्य बैठक आयोजित करेगी ।"

27 उक्त विनियमों में, विनियम 145 के पश्चात निम्नलिखित विनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"145 क. परिषद के निर्देश – परिषद समय–समय पर क्षेत्रीय परिषदों को ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जिन्हें परिषद इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने और उनके कार्यों का निष्पादन करने के लिए अनुकूल मानती हो और क्षेत्रीय परिषदें ऐसे किसी निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होंगी ।"

28 उक्त विनियमों में, विनियम 146 के पश्चात निम्नलिखित विनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात :–

"146 क. परिषद के निर्देश – परिषद समय–समय पर चैप्टरों को ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जिन्हें परिषद इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने और उनके कार्यों का निष्पादन करने के लिए अनुकूल मानती हो और चैपटरों की प्रबंधन समिति ऐसे किसी निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होगी ।"

एम. गोपालकृष्णन, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/71/12/असा.]

टिप्पणी : प्रधान विनियमों को दिनांक 25 मई, 1959 की संख्या सा.का.नि. 611 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किया गया था ।

(1) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (2)/69 दिनांक 8 मई, 1969
(2) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (2)/70 दिनांक 25 मई, 1970
(3) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (2)/70 दिनांक 22 जनवरी, 1972
(4) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/81 दिनांक 6 जनवरी, 1981
(5) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/88 दिनांक 31 जनवरी, 1989
(6) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/93 दिनांक 25 सितंबर, 1993
(7) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/2002 दिनांक 26 जून, 2002
(8) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/2002 दिनांक 27 मार्च, 2003
(9) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/2008 दिनांक 17 नवंबर, 2008
(10) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/2008 दिनांक 6 अप्रैल, 2009
(11) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/2010 दिनांक 4 फरवरी, 2011

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

Kolkata, the 25th May, 2012

F. No. CWR(1)2012.— Whereas the draft regulations further to amend the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, were published as required by sub section (3) of section 39 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) in the Gazette of India, part III, section 4, dated the 27th January, 2012 vide the Institute of Cost and Works Accountants of India notification number CWR(1) 2012, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of forty five days from the date on which copies of the said Gazette were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 31st January, 2012;

And whereas no objections and suggestions were received by the Institute;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 39 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Council with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, namely :-

1. (1) These regulations shall be called the Cost and Works Accountants (Amendment) Regulations, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 (hereinafter referred to as the said regulations) for the words "Central Council", wherever they occur, the word "Council" shall be substituted.

3. In the said regulations, in regulation 11,-

(a) in sub-regulation (1),-

(i) in clause (d), for the figure , letters and words "30th day of September " the figure, letters and words "30th day of June" shall be substituted;

(ii) after clause (d), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the Council shall give reasonable notice to the member ana shall afford to the member an opportunity of being heard before cancelling his Certificate.";

(b) in sub-regulation (2), in clause (b), for the figure , letters and words "1st day of October" the figure, letters and words " 1st day of July" shall be substituted.

4. In the said regulations, in regulation 20A, for item (a), the following item shall be substituted, namely:-

"(a) passed Class 10 or equivalent from a recognized board or institution".

5. In the said regulations, in regulation 20B, in clause (a), item (ii) shall be omitted.

6. In the said regulations, in regulation 25A,-

(a) for the word and letter "Form I" , the words "appropriate Form" shall be substituted;

(b) after the words "under his former registration" the words "subject to the provisions of regulation 41" shall be inserted.

7. In the said regulations, in regulation 28B, for sub-regulation (3), the following shall be substituted, namely: -

'(3) Non-payment of annual subscription by persons who are existing Grad. CWA before 30th September of every year will disentitle a person the use of the descriptive letters "Grad CWA":

Provided that there shall be no further admission as a Graduate of the Institute from the date of publication of these regulations.'.

8. In the said regulations, in regulation 30, under the heading " 2. Conditions for appearance in the Examination", clause (a) shall be omitted.

9. In the said regulations, in regulation 31, for the words "Intermediate and Final Examinations" the words "Foundation,

Intermediate, Final Examinations, Certificate in Accounting Technicians Course, Management Accountancy or any other certificate/diploma course as may be proposed for implementation" shall be substituted.

10. In the said regulations, in regulation 32,-

(a) in sub-regulation (1), for the words "on or after the" the words "on or after any" shall be substituted;

(b) in sub-regulation (3), for the word "Institute" the word "Council" shall be substituted;

(c) in sub-regulation (4), for the words "any of the above" the words "any of the" shall be substituted;

(d) after sub-regulation (4), the following proviso shall be inserted, namely –

"Provided that this regulation is subject to the provisions of regulation 41".

11. In the said regulations, in regulation 33, in sub-regulation (2), clause (a) shall be omitted.

12. In the said regulations, in regulation 35, -

(a) in sub-regulation (3), for the word "Institute" the word "Council" shall be substituted;

(b) in sub-regulation (4), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :–

"Provided further that this regulation is subject to the provisions of regulation 41".

13. In the said regulations, in regulation 41,-

(a) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1A) A candidate, who appears for both the stages or groups of Intermediate or Final examination shall be declared to have passed in the Intermediate or Final examination, as the case may be, if he gets at one sitting the minimum per cent, of the total marks in each paper from which he has not obtained exemption as specified in column II of clause (1) and an aggregate of fifty per cent, of the total marks of all such papers including the papers in which he has obtained exemption, taking both the Stages or Groups (under old syllabus) together.";

(b) in sub-regulation (2)-

(i) after the words "examination but" the words "who has appeared in all the papers of that stage or Group" shall be inserted;

(ii) for the proviso, the following provisions shall be substituted, namely:-

"Provided that he shall not be entitled to the benefit of exemption or carry forward mentioned in clause (i) and (ii) above if he has appeared for the papers in which he has the benefit of exemption or carry forward in a subsequent examination or voluntarily withdraws such benefit:

Provided further that the candidate shall not be entitled to the benefit of exemption or carry forward on and from the examination in which he appears for the same papers or as the case may be the examination in which he appears after withdrawal of exemption or carry forward:

Provided also that any benefit of exemption or carry forward shall be available to a student for three consecutive terms immediately succeeding the term in which such exemption or carry forward has accrued.".

14. In the said regulations, in regulation 44, in sub-regulation (2), after the words "Stores, Materials, Labour, Overhead etc. the words "or any other area as the Council may decide" shall be inserted.

15. In the said regulations, for regulation 48 the following regulation shall be substituted, namely :

"48. **Papers and Syllabus for Part I of Management Accountancy Examination:—** Candidates for Part I of the Management Accountancy Examination shall be examined in the groups and subjects as may be decided and approved by the Council.".

16. In the said regulations, in regulation 96,-

(a) for the words "auditors elected" the words "auditors appointed" shall be substituted;

(b) for the words "eligible for election" the words "eligible for re-appointment" shall be substituted ;

17. In the said regulations, in regulation 97, for the word "re-election" the word "re-appointment" shall be substituted.

18. In the said regulations, in regulation 102, in sub-regulation (1), for the words "certificate of practice" the word "certificate" shall be substituted.

19. In the said regulations, in regulation 116, in sub-regulation (2),-

(a) after item (xiii), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that no research or allied activities shall be conducted by Regional Councils except with the prior sanction of the Council for carrying out such activities:

Provided further that the Council while sanctioning such activities shall fix the total amount which may be expended for a research or other allied project and shall fix a time frame.".

(b) after item (xvii), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that no Regional Council shall organize any programme, directly or indirectly in a place outside the region concerned including any foreign programme.".

20. In the said regulations, regulation 117 shall be omitted.

21. In the said regulations, for regulation 118, the following regulation shall be substituted, namely:

"118 Conduct of elections –

(1) Notwithstanding anything contained in this Chapter, the elections to the Regional Councils shall be held by the Council and the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 shall apply to the elections to the Regional Councils mutatis mutandis.

(2) Any provision in this Chapter inconsistent with the provisions of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 shall, to the extent of such inconsistency, be void.

(3) Any reference in the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 to the President of the Council shall, for the purpose of elections to the Regional Councils, be construed as a reference to the Chairman of the Regional Council.

22. In the said regulations, for regulation 123, the following regulation shall be substituted, namely:-

"123 Powers and Duties of Chairman of a Regional Council – (a) The Chairman of a Regional Council shall exercise such powers and perform such duties as are conferred or imposed on him by the Act or these regulations, or as may be delegated to him by the Regional Council from time to time.

(b) The Chairman may direct any business to be brought before Regional Council or any committee for consideration.

(c) If the office of the Chairman is vacant or if the Chairman is unable to exercise the powers or perform the duties of his office, the Vice- Chairman shall act in his place and shall exercise the powers and perform the duties of the Chairman.

23. In the said regulations, in regulation 127, in sub- regulation (2), in the fourth proviso, the words 'or "Grad. CWA" ' shall be omitted;

24. In the said regulations, for regulation 132, the following regulation shall be substituted, namely:-

"132 Expenditure from fund –

(1) The funds of a Regional Council shall not be employed for any purpose without previous sanction in writing by the Regional Council and may only be utilized for such purposes as may be expressly sanctioned by the Regional Council.

(2) No part of the funds of a Regional Council shall be expended unless, bills, invoices and in the event bills/invoices are not available, vouchers signed by the competent person are produced before the competent authority of the Regional Council and such authority is satisfied that the expense is genuine and authorized:

Provided that no funds thereof shall be applied, either directly or indirectly, for payment to the members of the Regional Council or officers and staff of Regional

Councils except for reimbursing them for any expenses incurred by them in connection with the business of the Regional Council in the region concerned unless prior approval for making expenses including travelling or any other expenses outside the territorial boundaries of the region concerned is obtained from the Council in writing:

Provided further that no fund of Regional Councils shall be applied, directly or indirectly, for payment of any kind in relation to any foreign travel or programme held in a foreign country.".

25. In the said regulations, in regulation 136, in sub-regulation (1), for the figure, letters and word "31st July", the figure, letters and word "30th June" shall be substituted.

26. In the said regulations, for regulation 137, the following shall be substituted, namely:-

"137. Extraordinary General Meetings. – (1) A Regional Council–

(a) may, as often as it considers necessary ; and

(b) shall, on requisition made in writing by at least twenty per cent. of the total number of members of the regional Register,

convene an extra ordinary general meeting.

(2) Any requisition made in writing for convening an Extraordinary General Meeting shall specify the objects for which the meeting is called and shall be signed by the members making the same and shall be delivered at the office of the Regional Council.

(3) When a requisition is made under sub-regulation (1), the Regional Council shall convene an Extraordinary General Meeting within six weeks after the receipt of such requisition".

27. In the said regulations, after regulation 145, the following regulation shall be inserted, namely:-

"145A. Directions of Council – The Council may from time to time issue such directions to the Regional Councils as in the opinion of the Council are conducive to the fulfillment of the objects of the Act and in the discharge of their functions, and the Regional Councils shall be bound to carry out any such directions".

28. In the said regulations, after regulation 146, the following regulation shall be inserted, namely:-

"146A. Directions of Council – The Council may from time to time issue such directions to the Chapters as in the opinion of the Council are conducive to the fulfillment of the objects of the Act and in the discharge of their functions, and the Managing Committee of the Chapters shall be bound to carry out any such directions".

M. GOPALAKRISHNAN, President
[ADVT III/4/71/12/Exty.]

Note:- The Principal regulations were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 611 dated 25th May, 1959, and amended *vide*-

(1) Notification Number CWR (2)/69 dated 8th May, 1969
(2) Notification Number CWR (2)/70 dated 25th May, 1970
(3) Notification Number CWR (2)/70 dated 22nd January, 1972
(4) Notification Number CWR (1)/81 dated 6th January, 1981
(5) Notification Number CWR (1)/88 dated 31st January, 1989
(6) Notification Number CWR (1)/93 dated 25th September, 1993
(7) Notification Number CWR (1)/2002 dated 26th June, 2002
(8) Notification Number CWR (1)/2002 dated 27th March, 2003
(9) Notification Number CWR (1)/2008 dated 17th November, 2008
(10) Notification Number CWR (3) 2008 dated 6th April, 2009.
(11) Notification Number CWR (1) 2010 dated 4th February,2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.